

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 676/2011/जयपुर.

मैसर्स टाईमैक्स सैल्स कॉर्पोरेशन,
44 मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड़, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-तृतीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 03/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/एन/2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 में आरोपित कर रूपये 84,277/- ब्याज रूपये 5,023/- व शास्ति रूपये 1,68,554/- में से शास्ति राशि को अपास्त करते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए अपील आंशिक स्वीकार की गई है। अपील आदेश में पुष्टि किये गये कर व ब्याज की राशि को प्रस्तुत अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण/जांच दिनांक 21.01.2010 को की गयी थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हॉस्पिटल फर्नीचर को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के अधीन मेडिकल इक्यूपमेंट/डिवाइसेज की श्रेणी में मानते हुए इसके विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु हॉस्पिटल फर्नीचर वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु नहीं

लगाता.....2




मानकर इसे अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा धारा 36 के तहत दिये गये निर्णय दिनांक 14.12.2009 के प्रकाश में, वैट अधिनियम की अनुसूची-IV के अन्तर्गत 12.5/14 प्रतिशत की दर से करयोग्य वस्तु मानकर बिक्री रूपये 8,90,360/- पर 8.5/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 84,277/- आरोपित किया गया है तथा इस क्रम में धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 5,023/- आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा 8.5/10 प्रतिशत की दर से कर का अपवंचन किया जाना मानकर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 1,68,554/- की आरोपित की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हॉस्पिटल इक्यूपमेंट्स व अन्य वस्तुओं में व्यवहार किया जाता है, जिनका लेखा-पुस्तकों में सत्य व सही संधारण किया जाता है। देय कर कानून के प्रावधान के अनुसार जमा कराया जाता है, रिटर्न व वार्षिक रिटर्न सम्यक रूप से भरे जाकर नियमित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के टर्नओवर को 4 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न मेडिकल इक्यूपमेंट्स यथा हॉस्पिटल बैड, फूट स्टेप, आईवी स्टेण्ड, मॉडर्न फॉलर पोजिशन बैड, ऑक्सीजन सिलेण्डर ट्रॉली, सेमीफॉलर बैड डिलक्स, स्ट्रेचर ट्रॉली, ड्रेसिंग ड्रम्स, यूरिनल कोर्ट, ड्रिप स्टेण्ड, एकजामिनेशन टेबल व अन्य समान आईटम्स में व्यवहार किया जाता है। वैट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 86 "Medical equipment/devices and implants" के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करके जमा कराया है। मेडिकल इक्यूपमेंट्स वैट अधिनियम व नियमों में कहीं परिभाषित नहीं है।

4. बहस में आगे कथन किया कि That the term medical equipment in the dictionary is "medical equipment is designed to aid in diagnosis, monitoring or treatment of the medical condition". The medical equipment is included in the category of medical technology. This definition clearly says the equipment which are used as an aid in diagnosing, monitoring or treatment would be considered as medical equipment. If a simple example of medical bed is taken, the bed sold by the applicant is not a normal bed of furniture category, but are specifically designed and are used for different types of patients depending upon the elevation and the slop and the



लगातार.....3



mechanics required in which a particular patient lie down so that equipment is ultimately a part of treatment. If it is considered as a furniture as mentioned by the Assessing Authority and the patient is put on any type of bed then the treatment of the patient cannot be said to be complete as these equipments are mandatorily part of the medical treatment, monitoring and diagnosis. The Assessing Authority has not considered the nature ad use of the goods and has presumed them to be furniture. The term 'furniture' has been defined and is meant as Webster defines furniture as that with which anything is furnished or supplied and articles used for convenience or decoration in a house or apartment. In Chambers 20th Century dictionary, furniture is defined as movables either for use or ornament with, which a house is equipped. The Assessing Authority and the appellate authority erred in law and facts in considering these equipments as furniture because these equipments are made specifically for various types of requirement of treatment in the hospital and are not simply goods which are there for convenience or decoration or ornamentation. As such, the Assessing Authority and the appellate authority has erred in considering these medical equipment as furniture.

"Equipment" is whatever is needed in equipping; the articles comprised in an outfit; equipage. (See Department of Treasury, Gross Income Tax Division v. Ranger Cook: Inc. 49, N.E. 2d 548, 350, 114, ind-App. 107). It means the physical facilities available for production including machines and tools. It may means supplies of permanent or enduring character, or it may mean supplies for current purposes. Anything provided for efficient service is sometimes equated with that form. Although often used in widely different senses, the word "equipment" is more nearly synonymous with "instrumentality" than is the word "facility" which as ordinarily used, is not as narrow a term as instrumentality. According to Webster Universal Dictionary, "equipment" means an act of equipping; state of being equipped; that which is used for equipping. According to Compact Edition of the Oxford English Dictionary, "equipment" means the action or process of enuipping or fitting out; the state or condition of being equipped; the manner in which a person or thing is equipped; anything used in equipping; furniture; outfit; warlike apparatus. In Stroud's Judicial Dictionary, Fourth Edition, it is stated that the "equipment" of e.g. a hospital, includes anything and every thing which is required to convert an empty building, a part of an empty building, into a hospital, or part of a hospital, with all

लगातार.....4


modern appliances. As such, the equipment sold by the applicant are for medical purpose and cannot be classified as furniture. बहस के क्रम में विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2118 से 2120/2011/जयपुर व अपील संख्या 2288 से 2290/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 17.10.2012 न्यायिक दृष्टान्त 34 टैक्स अपडेट पेज 246 में निर्णय की प्रति प्रस्तुत की तथा विवादित बिन्दु इस निर्णय में निर्णित होने का कथन किया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के अन्त में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व अभिलेख का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मेडिकल इक्विपमेंट/डिवाइसेज के रूप में वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 86 की प्रविष्टि के अन्तर्गत आने से इन पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय होगा अथवा हॉस्पिटल फर्नीचर की श्रेणी में आने से वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के अन्तर्गत सामान्य दर 12.5 प्रतिशत कर देयता होगी ?

8. राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त संदर्भित निर्णय में विवादित बिन्दु इस प्रकार निर्णीत किया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1969) 23 एस.टी.सी. 201 में 'फर्नीचर' शब्द की विवेचना करते हुए संबंधित व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये बैड्स (फाउलर बैड) सहित, ऑपरेशन टेबल, बैड साईड लॉकर्स, ड्रेसिंग केरिजेज, इन्स्ट्रूमेंट केबिनेट रिवाॉल्विंग स्टूल्स, इन्स्ट्रूमेंट टेबल व ट्रॉली एवं सेल्फ प्रोपलिंग चेयर को मेटल फर्नीचर नहीं मानते हुए हॉस्पिटल इक्विपमेंट होना अवधारित किया गया है। माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के अभिनिर्णय (1989) 5 आर.टी.जे.एस. 289 में संबंधित व्यवहारी द्वारा विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पाद स्टेनलेस स्टील, रिवाॉल्विंग स्टूल, बैड स्टेंड, इन्स्ट्रूमेंट केबिनेट, अटेन्डेन्ट बैंच, ओवर बैड टेबल, बैड साईड लॉकर एवं बैड साईड स्क्रिम को 'फर्नीचर' नहीं माना गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त (1997) 107 एस.टी.सी. 296 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-




लगातार.....5

"6. As we have practically two conflicting decisions one of the Kerala High Court in E.V. Industries case [1974] 33 STC 308, and the other of the Allahabad High Court in imperial Surgico Industries case [1969] 23 STC 201, we have no hesitation in opting for the construction placed on the meaning of the word "furniture" by the Allahabad High Court. In common parlance the items in question cannot be regarded as furniture and are items which hospitals and medical establishments must necessarily keep for the cure and the care of patients out of functional necessity and are not intended to make hospitals and medical establishments appear to be well-appointed. The sale of the items in question would therefore not be exigible to tax as "metal furniture" but would be at the general rate."

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धारित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी कराधान के मामलों में common parlance का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्मित एवं बिक्रीत उत्पादों में संव्यवहार करने वालों की common parlance में प्रचलित सोच, प्रयोजन एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इनका वर्गीकरण किया जाकर कर देयता निर्धारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।


ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पादों के निर्माण, प्रयोजन एवं उपयोग बाबत common commercial parlance के सिद्धान्त की विवेचना किये बिना इनको हॉस्पिटल फर्नीचर मानते हुए इन पर अन्तर कर व ब्याज का आरोपण उचित नहीं माना जा सकता।


अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1969) 23 एस.टी.सी. 201, माननीय केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1993) 91 एस.टी.सी. 561 एवं राजस्थान करार अधिकरण के न्यायिक दृष्टांत (1989) 5 आर.टी.जे.एस. 289 व (1997) 107 एस.टी.सी. 296 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पादों के वर्गीकरण का उचित रूप से निर्धारण करते हुए करारोपण बाबत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जावें।



7. उपरोक्त पैरा 6 में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण के समान है। इस न्यायिक दृष्टान्त से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः आच्छादित है, अतः इस निर्णय के प्रकाश में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1969) 23 एस.टी.सी. 201, माननीय केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1993) 91 एस.टी.सी. 561 एवं राजस्थान कर अधिाण अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त (1989) 5 आर.टी.जे.एस. 289 व (1997) 107 एस.टी.सी. 296 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये उत्पादों के वर्गीकरण का उचित रूप से निर्धारण करते हुए करारोपण बाबत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

8. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी) 24/09/2016
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष